ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.19, No.3, July – Sept. ,2024/10

भारत में टांसजेंडर : एक समाजशास्त्रीय दृष्टि

सुनीता पाण्डेय, शोध छात्रा, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
https:// 10.61410/had.v19i3.196

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिससे वैश्विक स्तर पर थर्ड जेंडर के रूप में जाना जाता है, को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप में अभयलिंगी माना जाता है और अस्पष्टता के कारण लोगों इन्हें शैतान (अपनी यौन पहचान छुपाते हुए) मानते हैं और शारीरिक व मौखिक रूप में यौन दुर्व्यवहार होता है। ट्रांसजेंडर को काफी हद तक कलंकित और हास्य पर रखा गया है। इस प्रकार प्राचीन भारत से आज तक भारतीय समाज ने हिजड़ा और पूर्व निर्धारित लिंग श्रेणी के बीच अंतर किया है। हिजड़ा शब्द भारत में जैविक लिंग रेखाओं को धुंधला और पार करने वाली पहचान, दिखावें और व्यवहार को विस्तृत करता है। हिजड़े न तो पुरुष होते हैं और न ही स्त्री के रूप में इनको पहचान मिलती है। किसी भी उम्र के व्यक्ति जो व्यक्तिगत विशेषताओं या व्यवहारों में पुरुषों और महिलाओं से भिन्न पाए जाते हैं, उन्हें हिजड़ा नाम दे दिया जाता है। यह महिलाओं की तरह कपड़े पहनना और सजना–धजना पसन्द करते हैं। यह पुरुष या महिला लिंग की पारंपरिक धारणाओं के अनुरूप नहीं है लेकिन दोनों के बीच संयोजन या स्थानान्तरित करते हैं। ट्रांसजेंडर के सामाजिक अभाव और उत्पीड़न के आयाम को विकसित समाज में कभी ध्यान से नहीं देखा जा ता है। हिन्दू धर्म कई मिथक किवंदंतियां, अनुष्ठान, धार्मिक भूमिकाएं और विषय हैं, जो यौन रूप में अस्पष्ट या दोहरी लिंग अभिव्यक्तियों की धारणा का मनोरंजन करते हैं।

भारतीय हिजड़े में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और अंत स्रावी स्थितियां एवं प्रकार शामिल हैं। हिन्दी शब्द हिजड़ा का अनुवाद करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों की विशाल विविधता बाहरी लोगों के लिए भ्रम पैदा करती हैं। युनुस, समलैंगिक, उभयलिंगी ट्रांससेक्सुअल आदि इस समुदाय का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्द हैं। इन्हें अंतर्विभाजित, क्षीण, नपुंसक, ट्रांसजेंडर जाति, पुतली या यौन रूप से विषम एवं दुष्क्रियाशील भी कहा जाता है। आधुनिक भारत में अनुमानित 5–6 मिलियन ट्रांसजेंडर भारत में रहते हैं। ट्रांसजेंडर अक्सर अपने स्वयं के समुदायों में एक यहूदी बस्ती की तरह रहते हैं, जिसे घराना कहा जाता है। ट्रांसजेंडर जन्म के समारोह में नाश्ते गेट और जश्न मानकर जीवन यापन करते हैं।

भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर को किन्नर, हिजड़ा, कोठी, खोजा, थर्ड जेंडर आदि नामों से जाना जाता है। यह वह इंसान होते हैं जो न ही पुरुष होने का और न ही स्त्री होने का दावा करते हैं। पौराणिक कथाओं वी कहानियों में इनके प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ों हड़प्पा जैसी सभ्यताओं में भी इनके प्रमाण मिले हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि किसी भी राजा को ट्रांसजेंडर पर हाथ उनहीं उठाना चाहिए। हम एक ऐसे समझ में रहते हैं जिसमें केवल खुद की पहचान पर चर्चा की जाती है एवं ट्रांसजेंडर समुदाय को किसी प्रकार की इज्जत नहीं देते हैं। इसके कारण यह समुदाय अलग–थलग सा पड़ गया और सम्पत्ति की विरासत या बच्चे को गोद लेने के सम्बन्ध में उपेक्षित महसूस करने लगा। इनहें अक्सर सामाजिक बहिष्कार के रूप में परिधि के बाहर धकेल दिया जाता है। जिससे केई लोग भीख मांगने और नृत्य जैसे व्यवसाय में सम्मिलित हो जाते हैं। यह एक प्रकार कि मानव तस्करी है। कभी–कभी वह खुद को जीवित रखने के लिए सेक्स वर्कर के रूप में भी कार्य करने हेतु बिबस हो जाते हैं।

भारत की सरकार और नागरिकों के लिए आवश्यक है कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार सुनिश्चित करें। ट्रांसजेंडर को शामिल किए बिना ''हम भारत के लोग'' के विचार का वास्तविक अर्थपूर्ण नहीं होगा। 1994 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मतदान का अधिकार मिला लेकिन उन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी करने का कार्य पुरुष या महिला के आधार पर किया गया। कई को उनकी पसंद की लैगिंक श्रेणी के साथ कार्ड लेने से वंचित कर दिया गया। ट्रांसजेंडर किसी भी उम्र या लिंग के व्यक्ति है जो व्यक्तिगत विशेषताओं या व्यवहारों के बारे में पुरुषों और महिलाओं से भिन्न पाए जाते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय को होने वाली मुख्य समस्या रोजगार, शैक्षिक सुविधाओं, आवास व चिकित्सा सुविधाओं में होने वाला भेदभाव है। अब यह समुदाय राष्ट्रीय मुख्य धारा में भी अपनी पहचान बनाने लगा है। वर्ष 2011 की जनगणना में भारतीय ट्रांसजेंडर के लिंग की पहचान अन्य के रूप में की गई जो केवल कुछ ट्रांसजेंडर के अनुमोदन से मिला। 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि हिजड़ों को एक अलग तीसरे लिंग श्रेणी के तहत मान्यता दी जानी चाहिए।

भारत में कानून का शासन सर्वोच्च है और कानून की नजर में हर कोई समान है। फिर भी ट्रांसजेंडर समुदायर एक निरन्तर लड़ाई में है क्योंकि उन्हें समाज के हर हिस्से से उत्पीड़न दुर्व्यवहार और भेदभाव से सामना करना पड़ता है, चाहे वह अपने परिवार और दोस्तों अथवा समाज में बड़ पैमाने पर हो। ट्रांसजेंडर लोगों का जीवन एक दैनिक लड़ाई है क्योंकि कहीं भी कोई स्वीकृति नहीं है और उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाता है एवं उनका उपहास भी ड़ाया जाता है। अलार्म कि भारत में के सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के0एम0 राधाकृष्णन एवं ए0के0 सीकरी ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ व अन्य में पुरुष और महिला के साथ तीसरे लिंग को मान्यता दी है। विभिन्न लिंग पहचानों को मान्यता देकर न्यायालय ने पुरुष और महिला की दोहरी लैंगिक संरचना की भी सामाजिक मान्यता को समाप्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि तीरे लीग के रूप में ट्रांसजेंडर की मान्यता एक सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा नहीं है बल्कि एक मानवाधिकार मुद्दा है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून के समान संरक्षण की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत् दी गई हैं। किसी को भी लिंग पहचान को चुनने का अधिकार गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए एक आवश्यक हिस्सा है जो कि अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। न्यायालय अनुच्छेद 19 (1) ए द्वारा लागू की गई किसी व्यक्ति की लैंगिक अभिव्यक्त की भी रक्षा करता है और संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निहित प्रतिबंधों के अधीन किसी भी व्यक्तिगत उपस्थिति या उसके चयन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। न्यायालय ने इस अधिकार को मान्यता दी कि किसी व्यक्ति निजी व्यक्ति और इंसान की स्वतंत्र विचार प्रक्रिया का व्यवहार कैसे करता है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। न्यायालय ने आगे उल्लेख किया कि किसी एक व्यक्ति को अपनी गरिमा का एहसास नहीं होगा यदि उसे लिंग में परिपक्व होने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे वह सम्बन्धित नहीं है, जो फिर से उनके विकास में बाधा बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को चुनाव कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी एक तीसरी श्रेणी में शामिल किया है और शिक्षण संस्थानाओं अस्पतालों में प्रवेश के लिए अधिकारी की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश दिए हैं।

भारत में ट्रांसजेंडर 4000 से अधिक वर्षो से मौजूद हैं। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में ट्रांसजेंडर का एक लम्बा इतिहास रहा है। यह इतिहास उपमहाद्वीप संस्कृतियों के भीतर हिजड़ों के लिए कई प्रसिद्ध भूमिकाओं का श्रेय देता है। ट्रांसजेंडर को मतदान करने के लिए पुरुष या महिला के रूप में पहचान नहीं बतानी पड़ती क्योंकि सरकार की ओर से तीसरे लिंग की श्रेणी मिल गई है।

2009 के आम चुनाव में भारत की चुनाव समिति ने तीन ट्रांसजेंडर की उम्मीदवारी से इंकार कर दिया था क्योंकि उन्होंने खुद को पुरुष या महिला के रूप में पहचान नहीं दिया था।

ट्रांसजेंडर पहचान संकट का सामना करते हैं। यह अक्सर समाज में यौन शोषण और शारीरिक हिंसा का सामना करते हैं। इनका सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी सभी बहिष्कृत रखा जाता है। हमें ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ बड़े भेदभाव को रोकने के लिए या भविष्य में यौन कर्मियों से अच्छे नागरिकों बनने के लिए अपना रास्ता निकालने मे मदद करने लिए उनके अतीत या भविष्य पर एक नजर डालने की आवश्यकता है। ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल और विभिन्न सुझाव और सिफारिश प्रदान करना कि कैसे अधिक जनादेश, विधानों और भारत सरकार की सक्रिय भूमि को पात करते हुए ट्रांसजेंडर के प्रति भारतीय समाज के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। सामाजिक आर्थिक परिघटना और भारत के साथ–साथ विश्व में ट्रांसजेंडर की बड़ी संख्या मो देखते हुए, जटिल गतिविधि को देखते हुए हमारी सामाजिक परिधि में अपने अस्तित्व को आसानी से बंद करना, और उनके अस्तित्व की अनदेखी करना सम्भव नहीं है। ट्रांसजेंडर के जीवन उत्थान के लिए काफी कदम उठाए जा चुके हैं लेकिन अभी भी काफी काम करना बाकी है। जैसे कि मुफ्त शिक्षा, नौकरी में आरक्षण, सूचना लघु उद्योग लगाने हेतु ब्याज मुक्त लोन व रोगजार प्रशिक्षण इत्यादि।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. एक अग्रवाल, जेंडर बॉडीज : द केस ऑफ द थर्ड जेंडर इन इंडिया, कंट्रीब्यूशन इंडियन सोसाइटी, 1997।
2. नंदा0 स0 नाइदर मैन नार वुमनः द हिजड़ा ऑफ इंडिया, ओट्सवर्थ पब्लिशिंग कम्पनी, 1999
3. सवैन, स0 प्रॉब्लम ऑफ थर्ड जेंडर, सोशल इश्यू ऑफ इंडिया, न्यू विशाल पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2006
4. कालरा, ग, हिजड़ा : द यूनीक ट्रांसजेंडर कल्चर ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कल्चर एंड मेंटल हेल्थ।
5. चक्रपाणि, व., हिजड़ा : ट्रांसजेंडर वूमेन इन इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड एक्सक्लूजन रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेन्ट प्रोग्राम, 2010
6. नारायण, स0, इन ए ट्विलाइट फ्रंटलाइन – द हिन्दू ग्रुप, 2003
7. रायनर, ज0, द थर्ड सेक्स द व्हेन ए बेबी इज नॉट ए बॉय नार ए गर्ल, द ऑब्जर्वर मैगजीन, 1998